महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छयासीवां संस्करण (माह मई, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक
3. लैंगिक असमानताः कारण और समाधान
4. जेण्डर – भेदभाव एवं असमानता
5. ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया
6. मनरेगा अन्तर्गत चैक डेम निर्माण से किसानों में खुशहाली
7. सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग से ई–गवर्नेंस
8. अपने गांव के शासकीय स्कूल को उत्कृष्ट बनाने हेतु महिला सरपंच की 'अभिनव पहल'
9. आदर्श आंगनवाड़ी की ओर बढ़ते कदम
10. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री 'सीखो – कमाओ' योजना

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छयासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में दिनांक 16 मई 2023 को माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर की 22वीं शासक मंडल की बैठक मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित की गई। जिसे **''माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''लैंगिक असमानताः कारण और समाधान''**, **''जेण्डर – भेदभाव एवं असमानता''**, **''ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया''**, **''मनरेगा अन्तर्गत चैक डेम निर्माण से किसानों में खुशहाली''**, **''सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग से ई–गवर्नेंस''**, **''अपने गांव के शासकीय स्कूल को उत्कृष्ट बनाने हेतु महिला सरपंच की 'अभिनव पहल'''**, **''आदर्श आंगनवाड़ी की ओर बढ़ते कदम''** एवं **''मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री 'सीखो – कमाओ' योजना''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक

दिनांक 16 मई 2023 को माननीय मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर की 22वीं शासक मंडल की बैठक मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व से निर्धारित एजेंडे अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में संस्थान के संचालक, श्री संजय कुमार सराफ द्वारा पिछली शासक मण्डल की बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान बैठक के पूर्व निर्धारित एजेण्डे अनुसार विभिन्न बिन्दुओं को पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अपर मुख्य सचिव के साथ–साथ बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष चर्चा की गई।

इस बैठक में प्रशिक्षण तथा संस्थान के अन्य प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गये। बैठक में श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री धनंजय सिंह भदौरिया, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री अमरपाल सिंह, संचालक, पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश, सुश्री प्राची जोशी, सहायक सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, श्री ओ.पी. गुप्ता, उप सचिव, वित्त विभाग, श्री बाबूलाल विश्नोई, उप संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद थे।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

लैंगिक असमानता: कारण और समाधान

संदर्भ

जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं, जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं'। मेलिंडा गेट्स का यह कथन प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है, बल्कि उनकी उनकी प्रासंगिकता का भी निर्धारण करता है। क्या आपने कभी अपने आस–पास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढ़ोल नगाड़े या शहनाइयाँ बजते देखा है? शायद नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो कहीं इक्का–दुक्का। वस्तुतः हम भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। वैश्विक महामारी COVID–19 के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिये इस समस्या से निपटने में असाधारण सुधारात्मक नीतियों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), 2020 के अनुसार, भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच–समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

लैंगिक असमानता से तात्पर्य

- लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है।
- वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

चिंताजनक हैं आँकड़े

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सूची में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले पाँच देशों में शामिल है।
- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत (150वाँ स्थान) का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा– बांग्लादेश (50वाँ), नेपाल (101),श्रीलंका

(102वाँ), इंडोनेशिया (85वाँ) और चीन (106वाँ) एवं यमन (153वाँ), इराक (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

- राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वाँ स्थान) बेहतर रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है, आकड़ों के अनुसार, केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ ही संसद तक पहुँच पाती हैं (विश्व में 122वाँ स्थान) ।रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण यह है कि भारतीय राजनीति में पिछले 50 में से 20 वर्षों में अनेक महिलाएँ राजनीतिक शीर्षस्थ पदों पर रही है। (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता आदि)
- महिलाओं के लिये शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वाँ है।
- जबकि इस मानक पर वर्ष 2018 में भारत का स्थान 114वाँ और वर्ष 2017 में 112वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है। 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है। WEF के आँकड़ों के अनुसार, अवसरों के मामले में विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है– भारत (35.4:), पाकिस्तान (32.7:), यमन (27.3:), सीरिया (24.9:) और इराक (22.7:)।

लैंगिक असमानता का अर्थशास्त्र

- महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का करीब–करीब आधा हिस्सा हैं, और इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक और दूरगामी असर होते हैं, जिनका समाज के हर स्तंभ पर असर दिखता है।
- इस का आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा असर होता है। विश्व बैंक समूह की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ी थी।
- यह एक बड़ी हानि है, जिसकी व्यापकता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खास तौर से तब, जब हमें यह पता चलता है कि अगर पुरुष और महिला कामगारों का वेतन एकसमान कर दिया जाए, तो इससे विश्व की संपत्ति में हर व्यक्ति की जिंदगी में करीब 23 हजार 620 डॉलर की वृद्धि हो जाएगी।

लैंगिक असमानता के कारक

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
- भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।

- राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है।
- महिलाओं के रोजगार की अंडर–रिपोर्टिंग (Under&Reporting) की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
- शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

असमानता को समाप्त करने के प्रयास

- समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
- राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरुप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक– 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अंगीकृत ''बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहलें'' जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।
- आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो–तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

अर्चना कुलश्रेष्ठ
व्याख्याता

जेण्डर – भेदभाव एवं असमानता

आज हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव एक गंभीर समस्या है। लोग आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर लड़का हुआ तो उनके परिवार के लिए काफी अच्छा है। लड़के बड़े होकर मॉ–.बाप का सहारा बनेंगे और इसके अलावा लड़के की शादी जब वह करेंगे तो भारी भरकम उन्हें दहेज भी प्राप्त होगा आदि आदि । इन्ही सब कारणो से लोग आज भी लड़के जन्म को बहुत ज्यादा ही प्राथमिकता देते हैं लड़कियों के जन्म पर दोषारोपरण करते ।

समाज में शुरू से ही किशोरियो पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती रही हैं, उन्हें किशोरो ं के मुकाबले कमतर आंका जाता रहा है, परिवार में चाहे वे उच्चवर्ग के हों या मध्यवर्ग के शिक्षित हों या कम पढ़े लिखे बेटी के जन्म पर उतनी खुशियां नहीं मनाते जितनी बेटा होने पर, आज भी बेटा होने पर पूरे महल्ले व बिरादरी में मिठाइयां बांटी जाती हैं, हफ्तों जश्न का माहौल रहता है, लड़का हुआ है शुभ लक्षण है इसलिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है, लड़के के हाथ से छुआ कर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, नामकरण से ले कर मुंडन तक सभी अवसरों को पूरे तामझाम के साथ मनाया जाता है, बेटी के जन्म पर आज भी बेटी की मॉ को ताने मारे जाते और यदि दो से कन्या का जन्म ले तो मॉ की कोख को दोष दिया जाना आम बात हैं । बेटे के जन्म की खुशी के पीछे भावना यह होती है कि वह वंशबेल को आगे बढ़ाएगा, इतना ही नहीं बड़ा हो कर पढ़ लिख कर परिवार का आर्थिक सहारा बनेगा जबकि बेटी को शुरू से ही पराई अमानत समझा जाता रहा है वह तो एक दिन ससुराल चली जाएगी तो फिर उस पर इतना खर्च क्यों किया जाए।लड़की को शुरू से ही यह कह कर दबाया जाता रहा है कि तू तो लड़की है, तू घर में बैठ, चूल्हाचौका कर यही ससुराल में काम आएगा ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है।

लेकिन इस लैंगिक भेदभाव की समस्या को समाप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो एक दिन देश और दुनिया दोनों जगह लड़कियों की संख्या में कमी हो जाएगी और ऐसा हुआ तो सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।

लैंगिक भेदभाव का अर्थ क्या होता है? लैंगिक भेदभाव का मतलब होता है समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव उनके साथ दुर्व्यवहार करना। इसके अलावा जो भी अधिकार पुरुषों को प्राप्त है उनसे महिलाओं को वंचित करना।

लैंगिक भेदभाव के कारण क्या है– लैंगिक भेदभाव जैसी समस्या उत्पन्न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लोगों का विश्वास है की अगर लड़का पैदा होता है तो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा इसके अलावा लड़का पैसे कमाकर घर की आर्थिक स्थिति को संभाल लेगा और वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए लोग लड़कों को लड़कियों के मुकाबले ज्यादा तरजीह देते हैं। इसके अलावा शादी होने पर वह अच्छा खासा पैसा दहेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे बड़ी बात ये है कि लड़कियों के साथ भेदभाव पीढी दर पीढी से ही चला रहा है। पहले के लोगों का विश्वास था कि लड़कियों का प्रमुख कर्तव्य घर संभालना है। उनके लिए बाहर जाना वर्जित था। इसके कारण लड़कियों कीं शिक्षा में भी रुकावट डाली जाती रही हैं, जिसके फल स्वरुप लड़कियों के स्थिति समाज में कभी भी मजबूत नहीं हो पाई।

लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के उपाय–

1. समाज में जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि लोगों को समझ में आ सके कि लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है।

2. लड़कियों के शक्तिकरण करने के लिए कई प्रकार के जन हितकारी योजना का संचालन करना चाहिए ताकि लड़कियां सशक्त और मजबूत बन सके।

3. दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, शारीरिक और मानसिक शोषण से संबंधित जितने प्रकार की कुपरंपरा और प्रथाएं हैं उनके लिए कठोर से कठोर नियम और कानून बनाएं गए है उनका प्रचार प्रसार हर स्तर पर होना चाहिए , ताकि समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

4. महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा से संबंधित और भी कठोर कानून के साथ समाज में लोगो का स्वयं जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ऐसे घृढित अपराध के प्रति लोगो दण्ढ सामाज द्वारा दिया जाएं ताकि महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा को रोका जा सके।

5. समाज के प्रभावशाली पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़.चढ़कर महिलाओं के हित के लिए भी काम करना चाहिए ताकि समाज में महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने में मदद मिल

6. देश में लड़कियों के साथ भेदभाव की समस्या की जड अधिक गहरी है। वर्तमान में इस समस्या को समाप्त करने के अलिए सरकार और कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है और इस समस्या को काफी हद तक समाप्त भी किया गया है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रयास की जरूरत है ताकि भारत में लैगिग भेदभाव जैसी समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता

ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत बनने के बाद यह सवाल सबसे पहले आता है कि सरपंच, पंच व अन्य पंचायत के पदाधिकारी मिलकर कैसे काम करें ? ग्राम पंचायत में सरपंच व पंच मिलकर कामकाज को ठीक तरह से अंजाम दे सकें, इसके लिए कुछ तरीके बनाये गये हैं। आइये हम देखते हैं कि पंचायत कैसे काम करती है।

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के वजाए पूरी पंचायत के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय को महत्व दिया गया है। पंचायत के सदस्यों से अपेक्षा होती है कि वे सभी मिलकर पंचायत निर्णय करें।

इस बात को हम सभी मानेंगे कि, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ग्राम पंचायत के कामकाज का तरीका लोकतांत्रिक हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर फैसला करें कि पंचायत में कामकाज कैसे चलेगा। इससे सरपंच पर काम का भार भी कम होता है और मिलकर काम करने की परम्परा कायम होती है।

सहभागी निर्णय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 44 में काम काज संचालन एवं बैठक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन), नियम 1994 भी लागू है। इस लेख में हम ग्राम पंचायत की बैठक प्रक्रिया से संबंधित खास–खास बातों को प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जानेंगे।

ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना क्यों जरूरी है ?

ग्राम पंचायत की बैठकों में ही विभिन्न विषयों तथा कार्यक्रमों के बारे में फैसले लिये जा सकते हैं। ये बैठकें सदस्यों को अपनी राय बताने और सामूहिक निर्णय लेने का अवसर देती हैं।

ग्राम पंचायत की बैठक कब बुलाई जा सकती है ?

ग्राम पंचायत की बैठक जरूरत पड़ने पर किसी भी दिन आयोजित की जा सकती है। यहां एक एक बात ध्यान देने वाली है कि हरेक महिने में कम से कम एक बार बैठक बुलाना जरूरी है।

बैठक किसके द्वारा बुलाई जावेगी ?

बैठक बुलाने की जबावदारी ग्राम पंचायत के सरपंच की होती है। यदि किसी माह में सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहता है तो ग्राम पंचायत का सचिव, विगत बैठक की तारीख से 25 दिन का अवसान होते ही, बैठक की सूचना जारी करेगा।

क्या सरपंच द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ?

हॉ, जब बैठक बुलाना जरूरी हो तो सरपंच द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिये कम से कम तीन दिन पहले पंचों को सूचना दिया जरूरी है।

क्या ग्राम पंचायत के पंचों की मांग पर भी बैठक बुलाई जा सकती है ?

हॉ, यदि पंचायत के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य लिखित में मांग करते है तो सरपंच ऐसी लिखित में मांग करने की तारीख से सात दिन के भीतर बैठक बुलायेगा। यदि सरपंच ऐसी बैठक नहीं बुलाता है तो वे सदस्य जिन्होने मांग की है स्वयं बैठक बुला सकेगें और इसकी सूचना ग्राम पंचायत का सचिव जारी करेगा।

अगर सरपंच बैठक नहीं बुलाते तो अधिनियम में क्या प्रावधान है ?

धारा 44 की उपधारा 4 व 6 के अनुसार सरपंच लगातार तीन बैठके नहीं बुलाते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को रिपोर्ट देंगे उनके द्वारा अधिनियम की धारा 40 एवं इससे जुड़े अन्य नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगीं ।

बैठक की विषयसूची (एजेण्डा) कौन तैयार करेगा ?

ग्राम पंचायत की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा करना हो, निर्णय लेना हो ऐसे विषयों की सूची को जी एजेण्डा कहा जाता है। ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा सरपंच की सहमति से बैठक का एजेण्डा तैयार किया जायेगा।

क्या ग्राम पंचायत के पंच बैठक में प्रस्ताव (संकल्प) रख सकते हैं ?

- हॉ, ग्राम पंचायत के पंच पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर प्रस्ताव (संकल्प) रख सकते हैं।
- पंच या पंचों द्वारा प्रस्ताव की सूचना बैठक की तारीख से पॉच दिन पहले सभापति (सरपंच) को दी जावेगी। सरपंच यह तय करेंगे कि ये प्रस्ताव बैठक में रखने लायक है या नहीं । प्रस्ताव सही हाने पर वे बैठक के एजेण्डा में इसे जुड़वाऐंगे।

- यदि सरपंच की राय से कोई प्रस्ताव (संकल्प), अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के विरूद्ध है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैठक की सूचना किस प्रकार से दी जावेगी ?

ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारियों को बैठक की सूचना दिया जाना जरूरी है। जिस तारीख को बैठक रखी जा रही है उसके सात दिन पहले सूचना दिया जाना चाहिए। सूचना में बैठक की तारीख, समय, स्थान आदि का उल्लेख किया जावेगा। सूचना के साथ में विषयसूची (एजेण्डा) संलग्न किया जावेगा। ये सूचना सभी पदाधिकारियों को देकर उनसे सूचना प्राप्ति करना जरूरी है। सूचना की प्रति ग्राम पंचायत के सूचनापटल में भी चस्पा की जायेगी।

बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जावेगी ?

ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जावेगी। यदि सरपंच नहीं है तो उपसरपंच अध्यक्षता करेंगे यदि उपसरपंच भी नहीं है तो सदस्य आपस में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।

बैठक में पदधारियों के स्थान तय किया जा सकता है ?

पदधारी बैठक के सभापति द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर क्रम से बैठेगें।

बैठक में कितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है ?

ग्राम पंचायत की बैठक में उस समय पंचायत को गठित करने वाले सदस्यों के आधे से गणपूति होगी। बैठक में यदि गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो पीठासीन अधिकारी ऐसी तारीख या समय तक के लिये बैठक

स्थगित करेगा जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार से स्थगित बैठक में नया विषय विचार के लिए नहीं रखा जायेगा। जब स्थगित की गई बैठक पुनः आयोजित की जाती है तब गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक किस प्रकार संचालित की जावेगी ?

बैठक में एजेण्डा पर चर्चा की जायेगी तथा पिछली बैठक और वर्तमान बैठक के बीच हुए आय–व्यय की रिपोर्ट तथा चालू वित्तीय वर्ष की वर्तमान तक की संचयी आय–व्यय की रिपोर्ट सचिव द्वारा रखी जायेगी तथा उस पर चर्चा की जायेगी।

बैठक का कार्यवाही विवरण कौन तैयार करेगा ?

- प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा लिखा जायेगा।
- इस कार्यवाही विवरण में उपस्थित सदस्यों के नाम, बैठक में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पंचायत और उसकी समितियों के कार्यवाही विवरण, किसी प्रस्ताव (संकल्प) के पक्ष या विपक्ष में मत देने या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम शामिल किये जावेंगे।
- कार्यवाही विवरण में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तथा सचिव के हस्ताक्षर किये जावेंगे।
- कार्यवाही विवरण बैठक सम्पन्न होने के 10 के भीतर सभी सदस्यों को परिचलित किया जावेगा।
- कार्यवाही विवरण बैठक सम्पन्न होने के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत कें मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा जायेगा।

ग्राम पंचायत की बैठक में अध्यक्षता करने वाले सभापति की शक्तियां क्या हैं ?

- सभापति, बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को, जिसके बारे में उसे युक्ति युक्त आधारों पर यह विश्वास हो कि वह चर्चा के किसी विषय पर हित रखता हो, उस विषय पर चर्चा करने अथवा मतदान करने से

रोक सकेगा।

- ऐसा पदधारी, सभापति के इस निर्णय पर आपत्ति कर सकेगा, तब सभापति उसे बैठक में रखेगा तथा जो निर्णय किया जाय वह अन्तिम होगा। (इस विषय पर आपत्ति करने वाला सदस्य मत नही देगा)

बैठक में बोलते समय पालन किये जाने वाले नियम कौन से हैं ?

कोई पदधारी बोलते समय :–

- किसी ऐसे विषय के गुण अवगुण पर जो न्यायालय में विचाराधीन हो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा ।
- स्थानीय शासन, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा ।
- संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल या किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में किसी संतापकारी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा ।
- मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा ।
- पंचायत के काम काज में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण संबंधी अधिकार का अनुचित रूप से प्रयोग नही करेगा।

एक ही सदस्य द्वारा एक ही प्रस्ताव के संशोधन का समर्थन कर सकता है ?

ऐसा कोई पदधारी जिसने किसी प्रस्ताव पर बैठक को संबोधित किया हो उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा।

मत के प्रस्ताव के उपरान्त चर्चा की जा सकती है ?

सभापति द्वारा किसी विषय पर मत का प्रस्ताव रखे जाने के बाद कोई पदधारी उस पर नहीं बोलेगा।

बैठक में सदस्य कब बोलेंगे ?

पदधारी किसी विषय पर सभापति द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद अपने स्थान पर खड़ा होकर बोलेगा तथा सभापति को संबोधित करेगा।

बैठक में निर्णय किस प्रकार लिये जावेंगे ?

बैठक में सभी प्रस्तावों पर निर्णय बहुमत से किया जायेगा। यदि किसी स्थिति में मत बराबर हों तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा।

बैठक में लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार कब हो सकता है ?

बैठक में जिस विषय पर एक बार निर्णय लिया जा चुका हो उस पर अगले 6 माह तक पुर्नविचार नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि पंचायत के तीन चौथाई सदस्यों ने लिखित में सहमति न दे दी हो अथवा विहित प्राधिकारी ने पुर्नविचार के निर्देश न दिए हों।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

मनरेगा अन्तर्गत चैक डेम निर्माण से किसानों में खुशहाली

इन्दौर जिला जो कि मालवा अंचल में स्थित है इसके अन्तर्गत राजा देवपाल की नगरी देपालपुर तहसील भारत के भौगोलिक मानचित्र की टोपोषीट क्रमांक 46 N/9 पर 22, 51, 54 अक्षांष एवं 75, 33 देषांष पर स्थित है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत अटाहेड़ा जो कि देपालपुर से लगभग 12 कि.मी. की दुरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत में कुल 650 परिवार निवासरत है, जिसकी कुल जनसंख्या 3910 है। जिसमें कुल 140 बी.पी.एल. परिवार एवं 510 ए.पी.एल. परिवार तथा मनरेगा अन्तर्गत 151 क्रियाशील जॉबकार्डधारी परिवार है।

कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा एवं क्रियान्वित क्षेत्र में आवश्यकता :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अन्तर्गत जल सर्वधन एवं संवहन के विकास हेतू ग्राम पंचायत अटाहेड़ा के ग्राम गेहूखेड़ी में चैक डेम निर्माण जिसकी स्वीकृत राषि 5.75 लाख थी। उक्त कार्य ग्राम पंचायत में जल की कमी को देखते हुए किसानो के आवष्यकता एवं पषुओ के पेयजल की कमी को देखते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उक्त कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ किया गया । उक्त संरचना की उॅचाई 4 फिट व लम्बाई 65 फिट जिसमे 2820 क्यूबिक मीटर पानी का संरक्षण किया जाता है। जिससे 10 किसानो को प्रत्यक्ष रूप से अपने खेतो में सिचांई के लिए व अन्य किसानो का अप्रत्यक्ष रूप से कुए एवं बोरवेल का जल स्तर भी बड़ा है।

कार्य को किस तरह से क्रियान्वित किया गया :–

उक्त कार्य ग्रामीण किसानो द्वारा पानी की कमी को देखते हुए किसानो द्वारा चैक डेम निर्माण की मांग की गई जिसमे उपयंत्री द्वारा सरपंच, सचिव रोजगार सहायक, एवं समस्त ग्रामीण किसानो द्वारा ग्राम का सामुहिक भम्रण कर चैक डेम हेतू स्थल का चयन किया गया जहॉ पर पूर्व में कई वर्षो पूराना पत्थरो का स्टॉप डेम बना था। जिस पर वर्तमान में पानी नही रूकता था। जहॉ तकनिकी रूप से एक निश्चित उॅचाई तक चैक डेम बनाने का निर्णय लिया गया और स्वीकृति उपरान्त स्टॉप डेम की खुदाई कर कांकीट से पूरी संरचना का निर्माण किया गया ।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

MP e-Services Portalservices.mp.gov.in

JAN-SEVA (MP&eServices) एक वेब पोर्टल है जिसे एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को वितरित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), एमपीएसईडीसी द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को कई सेवाएं प्रदान करती है। सेवा का अधिकार अधिनियम (RTS) के तहत शामिल अधिकांश सेवाओं को विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना अपने घरों में आराम से एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, नागरिक विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को प्रत्येक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं जो व्यावहारिक कठिनाई का कारण बनता है। इस संदर्भ में, मध्यप्रदेश सरकार ने सभी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को शामिल करते हुए "ई–सेवा" नामक एक केंद्रीकृत एमपी ई–सेवा पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल 56 विभागों की 1200 से ज्यादा सर्विसेस को एकत्रित करता है। यह मध्यप्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), MPSeDC द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है।

MP e-Services Portal द्वारा प्रदान सेवाएं

पोर्टल द्वारा सेवाए देने बाले विभाग

- खेलऔर युवा कल्याण
- वित्त विभाग
- परिवहन विभाग
- राजस्व विभाग
- सामान्य प्रशासन विभाग
- वाणिज्यिक कर
- जेल विभाग
- गृह विभाग

सेवाओं के प्रकार

- **हितग्राही मूलक योजनाऐं**
- **लाइसेंस एवं परमिट**
- **उपयोगिता सेवाएं एवं बिल भुगतान**
- **ऑनलाइन आवेदन**
- **प्रमाण पत्र**
- **भर्ती एवं रोजगार**
- **शिक्षा संबंधित सेवाएं**

राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल

केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कई सरकारी संस्थाएं ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रही हैं जिससे नागरिकों का जीवन आसान हो गया है और पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ी है। ये सेवाएं कई वेबसाइटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

इन सेवाओं को एक अच्छी तरह से वर्गीकृत और खोज योग्य इंटरफेस में सूचीबद्ध करने के लिए, राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल (https:/services.india.gov.in) को भारत पोर्टल परियोजना के दायरे में विकसित किया गया है जिसे एनआईसी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।इस पोर्टल का उद्देश्य एक मंच के तहत विभिन्न

सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की सूची बनाना और सामग्री संरचना और सेवाओं के वर्गीकरण के संबंध में मानकीकरण सुनिश्चित करना है।

Portal द्वारा प्रदान सेवाएं

श्रेणियों से संबंधित सेवाएं

शिक्षा और अधिगम	रोजगार	जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
स्वास्थ्य और कल्याण	न्याय, कानून और शिकायत	पेंशन और लाभ
बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं	यात्रा एवं पर्यटन	परिवहन और आधारिक संरचना
मुद्रा और कर	व्यवसाय तथा स्व रोजगार	नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण	विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	युवा, खेल और संस्कृति

शिव कुमार सिंह
प्रोग्रामर

अपने गांव के शासकीय स्कूल को उत्कृष्ट बनाने हेतु महिला सरपंच की 'अभिनव पहल'

उज्जैन जनपद एवं जिला मुख्यालय से 10 किमी. की दूरी पर ग्राम पंचायत दताना के नव–निर्वाचित महिला सरपंच श्रीमती संजना वर्मा अपने गांव सहित अन्य ग्रामीण स्कूलों के बच्चों द्वारा गांव में स्थित शासकीय स्कूल को छोड़कर उज्जैन शहर के स्कूल में प्रवेश लेने की बात गांव के स्कूलों के गिरते शिक्षा के स्तर को लेकर बहुत खटकती थी। जिससे ग्रामीणों बच्चों का समय और पालकों का धन भी ज्यादा खर्च होता था गांव के स्कूलों छात्र संख्या कम होने से शिक्षक भी ठीक से पढ़ा नही पाते न ही उनका मन लगता था। इस स्थिति को भांप कर पंचायत चुनावों से पूर्व ही उन्होंने ठान लिया था कि अगर वे विजयी हुई तो अपने गांव के सरकारी स्कूल की दशा और पढ़ाई पर प्राथमिकता से कार्य करेगें और एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करेगें।

श्रीमती वर्मा ने बताया कि योजना बनाने की अपेक्षा पंचायतों को क्रियान्वयन पंचगण एवं ग्रामीणों की सक्रियता स्कूल शिक्षकों को नियत समय पर एवं पढ़ाने के संबंध में पाक्षिक–मासिक टेस्ट, शिक्षक–पालक संवाद बाल केबिनेट, ग्राम चौपाल आदि के सुचारू संचालन से लोगों की जागरूकता, भागीदारी से सबकुछ आसानी से हुआ मध्यान्ह भोजन हेतु स्थाई रूप से लंच टेबल बडौदा मार्बल लगा हुआ है, मध्यान्ह भोजन के पूर्व एवं शौच के पश्चात् साबून से बच्चों के हाथ धोने एवं स्वच्छ पेयजल उपयोग के संबंध में नियमित रूप से आदत डालने सहित अन्य सभी तरह की साफ–सफाई के बारे में समझाया जाता है इससे स्कूल के बच्चे अभिभावक शिक्षक सभी ने उत्साहदायक वातावरण का संचार हुआ है।

सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्रामसभा को ग्राम संसद का दर्जा प्राप्त है जिसमें खुले संवाद से ग्रामवासी केवल समस्या लेकर नही आते बल्कि समाधान में भी उनका सहयोग मिलने से इस प्रकार योजना बनाने और क्रियान्वयन दोनों में ग्रामवासियों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

इसी कड़ी में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा स्कूल को जिले का उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन किये जाने से गांव के लोगों और ग्राम पंचायत में हर्ष व्याप्त है। भ्रमण दल द्वारा स्कूल, आंगनवाडी, शौचालय निर्माण उपयोग एवं पंचायत द्वारा संचालित अन्य कार्यो को भी दिखाया गया दल के साथ संस्था के संकाय सदस्य श्री व्ही एस नागर सहित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक, पंचगण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

विमल शंकर नागर,
संकाय सदस्य

आदर्श आंगनवाड़ी की ओर बढ़ते कदम

जनपद पंचायत खाचरौद के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बनबना क्रं 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती कल्पना व्यास द्वारा आंगनवाड़ी को स्वच्छ रखने एवं साफ–सुथरा वातावरण निर्मित किया जाकर आदर्श आंगनवाड़ी की और अग्रसर किया है। केन्द्र में छोटी उम्र से ही बालिकाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है घर–घर जाकर उन्हें आंगनवाड़ी में आने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

नन्हें बच्चों को स्वंय के द्वारा मिट्टी के बर्तन तैयार कर उन्हें रचनात्मक ज्ञानवर्धक छोटे–छोटे गेम्स खिलवाए जाते है हिन्दु–मुस्लिम दोनों धर्म के बच्चों को बिना किसी भेद भाव के एक साथ आंगनवाड़ी में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियाँ करते है।

किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक किया जाता है स्वास्थ के प्रति अनुकुलता तथा योग, व्यायाम करवाये जाते है। स्वास्थ के प्रति जागरूकता के फल स्वरूप महिलायें सेनेटरी नेपकिन का प्रयोग करने लगी है।

बच्चों को मोटीवेशनल, शारीरिक, मानसिक एक्टिविटी करवाई जाती है बच्चों के द्वारा ही उन्के माता–पिता को जागरूक किया जाता है। फलस्वरूप जेन्डर भिन्नता बालक–बालिकाओं में अन्तर प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार पोषण वाटिका आपने निवास के पास श्रीमती व्यास ने तैयार कि है जिसमें जौविक खाद का उपयोग कर भिंड़ी, गिलकी, लौकी, टमाटर ,आदि उगाकर उनकी सब्जियाँ तैयार कर बच्चों को पोषण युक्त आहार प्रदाय किया जा रहा है।

जी.एस. लोहिया,
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री 'सीखो – कमाओ' योजना

मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने के उद्देश्य से नई योजना प्रारंभ की गई है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ ही स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो – कमाओ योजना युवाओं को रोजगार , प्रगति और विकास के नए अवसर देगी।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थानों में on the job training की सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री सीखो – कमाओ योजना लागू की गई है। योजना के तहत चयनित युवा को छात्र – प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा।

युवाओं हेतु पात्रता

- आयु सीमा 18 से 29 वर्ष तक हो।
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
- शैक्षणिक योग्यता 12 वीं/ आई टी आई उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा प्राप्त हो।

योजना के तहत पात्र संस्थान

देश/मध्यप्रदेश के ऐसे औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थान जिनके पास PAN और GST पंजीयन है। यह योजना प्रोपराइटरशिप, एच यू एफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट , समिति आदि सभी निजी संस्थानों पर लागू होगी।

योजना के तहत पंजीकृत संस्थान अपने कुल कर्मचारियों के 15 प्रतिशत संख्या तक छात्र – प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।

प्रशिक्षण

युवाओं को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवम रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा ैब्टज् निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र प्रशिक्षणार्थी के रुप में पंजीकृत किया जाएगा।

युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्र

- विनिर्माण क्षेत्र रू इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स , मैकेनिकल , सिविल, इलेक्ट्रिकल आदि।
- प्रबन्धन (मैनेजमेंट एवम मार्केटिंग) ।
- ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र – प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनॉमी एवम ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
- सेवा क्षेत्र रू होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल, अस्पताल, रेलवे आदि।
- आई टी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र।
- वित्तीय क्षेत्र रू बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं।
- मीडिया और कला क्षेत्र।
- कानूनी और विधि सेवाएं।
- शिक्षा और प्रशिक्षण ।
- विनिर्माण/ सेवाओं / व्यापार आदि के शेष अन्य क्षेत्र।

योजनान्तर्गत स्टाइपेंड

प्रशिक्षणार्थी के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कोर्स हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली स्टाइपेंड की राशि इस प्रकार होगी –

- 12 वीं या उससे कम कक्षा उत्तीर्ण हेतु रु 8000 / प्रतिमाह।
- आई टी आई उत्तीर्ण हेतु रु 8500 / प्रतिमाह।
- डिप्लोमा उत्तीर्ण हेतु रु 9000 / प्रतिमाह।
- स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा हेतु रु 10000 / प्रतिमाह।

औद्योगिक / व्यवसायिक संस्थान को निर्धारित स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि छात्र – प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी उसके बाद राज्य शासन द्वारा निर्धारित स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि छात्र प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान की जावेगी। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि तक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

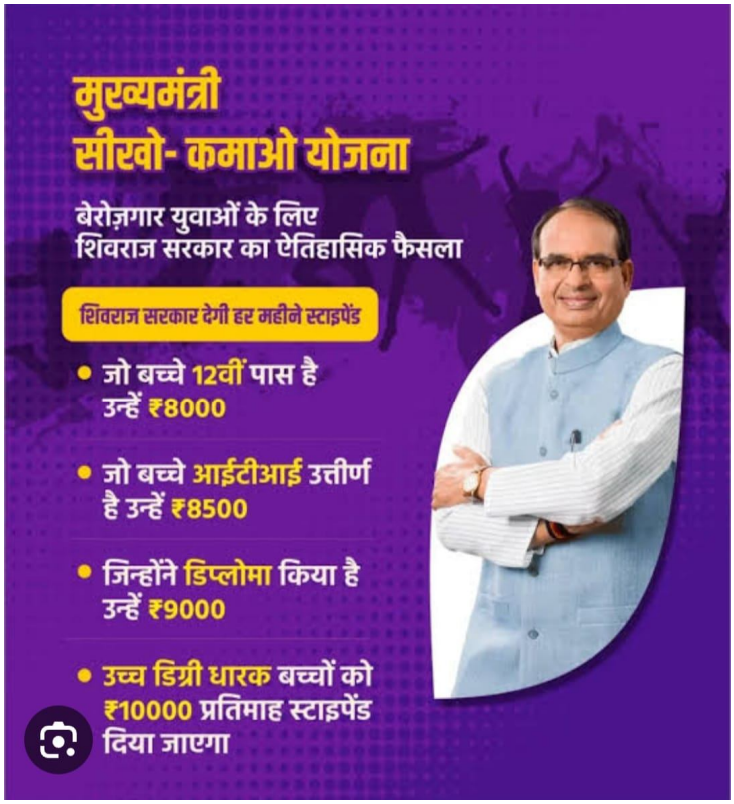

योजना का क्रियान्वयन

प्रत्येक युवा को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस हेतु विभाग की साइट http://ssdm.mp.gov.in पर कोर्स की सूची उपलब्ध है। औद्योगिक संस्थानों द्वारा इसी पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु वेकैंसी प्रकाशित की जावेगी। संस्थानों द्वारा पात्र आवेदकों से ऑनलाईन / दूरभाष या साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें छात्र प्रशिक्षणार्थी के रुप में चयनित किया जाएगा।

- मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु साधिकार समिति गठित की गई है। इस योजना हेतु तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवम रोजगार विभाग मध्यप्रदेश शासन नोडल एजेंसी है।

योजना से छात्र प्रशिक्षणार्थी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे –

- उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण ।
- अद्यतन तकनीक एवम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण ।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह स्टाइपेंड।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवम रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणपत्र।
- नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.